भारत पाँच रुपये COURT FEE INDIA FIVE RUPEES Rs. 5

113

समक्ष : न्यायालय माननीय म.प्र. राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक/आर............I /2013 निगरानी – 912 - I/13

विष्णु पुत्र रतन उम्र 19 वर्ष, जाति माली
निवासी ग्राम दांतरदाकंला तह. व जिला
श्योपुर म.प्र.

.............निगरानीकर्ता

बनाम

1–नसीमबानो पत्नी अब्दुल रहमान उम्र 35 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी निवासी कागजी मोहल्ला सवाईमाधोपुर राजस्थान

2–मांगीलाल पुत्र रामनारायण उम्र 70 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम दांतरदा तह. व जिला श्योपुर म.प्र.

............गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार वृत–1 मानपुर तहसील व जिला श्योपुर के प्र.कं. 105/10–11/अ–6 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28.02.13

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

यह कि ग्राम दांतरदा तह. व जिला श्योपुर में स्थित भूमि सर्वे कमांक 252/3 रकबा 10 बिस्वा ,सर्वे कं. 258/4 रकबा 6 बीघा ,सर्वे कं. 258/5 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा ,कुल किता 3 कुल रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा स्थित है जो निगरानीकर्ता की पैत्रिक सम्पत्ति है। वर्तमान में उक्त भूमि गैरनिगरानीकर्ता कमांक–2 मांगीलाल जो निगरानीकर्ता के दादा है के नाम भूस्वामित्व के रूप में शासकीय अभिलेख खसरा पंचशाला में विधिवत दर्ज है। निगरानीकर्ता के दादा मांगीलाल के पूर्व उक्त भूमि निगरानीकर्ता के परदादा रामनारायण पुत्र ऊंकार के नाम विधिवत दर्ज थी, जिनके फोत होने पर

कमंश:............2

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–912–एक/2013 जिला–श्योपुर

विष्णु विरूद्ध नसीमबानो व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17–06–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार वृत–1 मानपुर तहसील व जिलां–श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 105/2010–11/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 28–02–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–श्योपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06–08–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 17/6/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	